न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

(बईजलास श्री महीपाल सिंह आर ए एस)

प्रकरण संख्या 105/2018 प्रार्थनापत्र एलआर

अनवान

1. कल्याण पिता गोकल कुमावत निवासी सरदारनगर तहसील बनेडा जिला भीलवाडा।

...... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाडा

..... विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :::– **श्री मुरारी जोशी वकील प्रार्थी**

–:: निर्णय ::–

दिनांक 25–01–2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम सरदारनगर पटवार क्षैत्र सरदारनगर की जमाबंदी सम्वत् 2061 से 2064 मे प्रार्थी एंव प्रार्थी के भाई उगमा पिता गोकल व माता धन्नी बेवा गोकल कुमावत के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड था ।

किन्तु प्रार्थी का नाम 2065–2068 की जमाबन्दी मे सहवन से कल्याण पिता गोकल कुमावत का नाम हटा दिया एंव कल्याण पिता जवाहरमल का नाम यथावत चलता रहा जिस कारण से पुनः ना.स. 2874 नि.दी. 20–01–2012 विरासत कल्याण पिता जवाहरमल सुरेशचन्द्र , राजेन्द्र कुमार , ललित कुमार पिता कल्याणमल , ममता , गीता , भगवती सम्पत पुत्रिया कल्याणमल , शान्तादेवी पत्नि कल्याणमल के नाम दर्ज हो गये । तथा उक्त त्रुटी आज दिनांक तक अनव्रत जारी है जिसे संशोधन की आज्ञा प्रदान की जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 19.04.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की जरिये सम्मन तलबी की गई। विपक्षी ने प्रार्थी के प्रार्थना के प्रा.पत्र को स्वीकार किये जाने मे किसी प्रकार की कोई आपत्ती नही होना जाहिर करते हुए दिनांक 25.06. 2018 को प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में प्रार्थना पत्र में इंगित विवरण सही होना वर्णित है । जिसे रिकार्ड पर लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया । उपस्थित प्रार्थी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस तथा साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत दस्तावेजी पर अध्ययन व मनन पश्चात प्रार्थी का प्रा.पत्र सहमति से स्वीकार योग्य है पाया जाता है।

–:: आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरूद्ध विपक्षी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बनेड़ा को निर्देशित किया जाता है कि वाके ग्राम ग्राम सरदारनगर पटवार क्षैत्र सरदारनगर की आराजी नम्बर 420 रकबा 02 बिस्वा गेमु. चाह मे उगमा , कल्याण पिता गोकल , धन्नी बेवा गोकल कुमावत 1/2 हिस्सा एंव सुरेशचन्द्र , राजेन्द्र कुमार , ललित कुमार पिता कल्याण , ममता , गीता , भगवती सम्पत पुत्रिया कल्याण , शान्तादेवी पत्नि कल्याण ब्राहम्ण 1/2 हिस्सा संशोधित किया जावें।

यह आदेश आज दिनांक 25.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

क्रमांक/प्रा.पत्र. एलआर /प्र.स. 105/18 दिनांक 25/1/2021

प्रतिलिपिः–

तहसीलदार बनेडा को भेजकर लेख है कि माफिक आदेश के राजस्व अभिलेखों में पालना की जाकर मय पालना रिपोर्ट के नकल जमाबंदी सहित 30 दिन की समयावधि में प्रस्तुत करने की सुनिश्चिता करें।

(महीपाल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)